इसलिए, उनमें से एक में दी गई राशि को दूसरे में वेतन वृद्धि के रूप में गिनने की अनुमति दी जा सकती है।"

इसलिए, यदि अलग-अलग विभागों में दो पदों पर समान वेतनमान है, तो उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए समान और समान माना जाना चाहिए।

(10) इस परिणामस्वरूप, मैं इस पत्रकारी को स्वीकृति देता हूँ और एक मंडेमस के आदेश के माध्यम से प्रतिस्पर्धी को दिनांक 5 दिसम्बर 1986 से लागू होने वाले संशोधित वेतनमान रु7,300—7,600 को प्रस्तुत करने का आदेश देता हूँ और उसे इसके आधार पर वेतन और अन्य भत्तों के लाभांश का भुगतान करने का आदेश देता हूँ। पे-निर्धारण के परिणामस्वरूप, जो प्रतिस्पर्धी को दिनांक 5 दिसम्बर 1986 से लागू होने वाले संशोधित वेतनमान रु 7,300—7,600 के आधार पर होना चाहिए था, उसी वैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी, और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में भी वृद्धि में प्रतिबिम्बित होना चाहिए, जिसे पेटीशनर का अधिकार होता, यदि उसका वेतनमान 5 दिसम्बर, 1986 से सुधारा जाता, अर्थात, उसकी सुपरैन्नुएशन की तारीख से पहले, यानी 31 दिसम्बर, 1987 को। क्योंकि पेटीशनर पहले ही सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, उपर्युक्त ऋणों के अग्रिम भुगतान को उसको बार्डर तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ उसको भुगतान किया जाएगा। पेटीशनर को इस मंडेमस की लागतें भी होंगी, जिन्हें रु. 1,000 के रूप में माना गया है।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री ,न्यायमूर्ति पी. एन. के. सोढ़ी के समक्ष

ए. पी. सुथार, - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनियां लिमिटेड बॉम्बे और

एक और, - *उत्तरदाता*

सिविल रिट याचिका सं. 1989 का 4845।

20 मार्च, 1991।

भारत का संविधान 1950-⊠नुच्छेद 12- *कंपनियां। ⊠धिनियम,* 1956 - '⊠न्य प्राधिकरणों' की ⊠भिव्यक्ति - का दायरा - *कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी - केंद्र और राज्य सरकार के पास इसके शेयरों का छोटा प्रतिशत है - कंपनी के निदेशक मंडल में मुख्यतः निजी व्यक्ति होते हैं - ⊠नुसूची में उल्लिखित उद्योग को चलाने वाली कंपनी - ऐसी कंपनी - क्या यह वास्तव में राज्य का एक उपकरण या एजेंसी है?*

निर्धारित किया गया कि किसी भी अदृश्य प्रतिशत के हिस्सेदारी का संज्ञानयोग्य रूप से किसी भी निगम के प्रबंधन पर नियंत्रण, कहें तो प्रभावी निगरानी का भी सीमांत देना संभावनहीन है। निगम का प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियंत्रित होता है, जो मुख्यतः निजी व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और इसका कोई संबंध ना तो केंद्रीय या राज्य सरकार से है और ना ही वित्तीय संस्थानों से। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सरकार का निगम द्वारा हिस्सेदारी, जैसा कि है, इस पर कोई निगरानी नहीं देता है, वहाँ से आने वाले निदेशक मंडल का गठन भी ऐसा है कि सरकार इसके माध्यम से कोई निगरानी नहीं कर सकती। कंपनी निजी क्षेत्र में है और इसके हिस्से देशभर के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में कोट हैं, और इसलिए, इसे राज्य का उपकरण या एजेंसी माना नहीं जा सकता है।

(पैरा 7)

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951—भारतीय संविधान, 1950—धारा 12—परिधि—गहरे और पर्याप्त रूप से राज्य नियंत्रण की सीमा—कंपनी एक अनुसूचित औद्योगिक परियोजना होने के नाते सीमेंट और इसके संबंधित उत्पादों का निर्माण करने वाली—1951 अधिनियम के तहत इसके पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करने, और सलाहकारी और विकास परिषदें स्थापित करने के संबंध—केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेटरी स्वरूप हैं और इसके ऊपर गहरे और पर्याप्त रूप से राज्य नियंत्रण को नहीं प्रदान करते हैं।

निर्धारित किया गया कि 1951 के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों का कार्य संचालित करने वाले किसी भी परियोजना को स्वयं ही धारा 12 के अधीन एक राज्य के रूप में माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे नियंत्रण के प्रकारों के कारण केंद्र सरकार द्वारा व्यापक किए जा सकने वाले किसी भी नियंत्रण का अभ्यन्तर है। यह उस परियोजना के प्रबंधन, नीति निर्माण, दिन-प्रतिदिन कार्य आदि के मामले में नियंत्रण की कुल मात्रा है जिसे देखना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि गहरे और व्यापक राज्य नियंत्रण का परीक्षण पूरा होता है या नहीं। सत्य है कि

परियोजना को पंजीकृत किया जाना चाहिए, उसे एक लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और केंद्र सरकार ने इस पर सलाहकारी और विकास परिषदें स्थापित की हैं ताकि इसे विकसन और अनुयायी उद्योगों के विकास और विनियमन से संबंधित सभी मामलों में विशेषज्ञ सलाह प्राप्त हो सके और इसे एक अनुसूचित उद्योग की कुशलता और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए, और विकास परिषद को रिपोर्टें प्रस्तुत करनी भी होती हैं, लेकिन ये सभी विनियमन स्वरूप के मामले हैं और यह नियंत्रण इतना गहरा और व्यापक नहीं है कि इस परीक्षण को पूरा करें। यह अधिनियम के तहत एक अनुसूचित उद्योग पर राज्य का विनियमनात्मक प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार के रूप में धारा 12 के दायरे को इतना बढ़ाना न केवल अविवेकपूर्ण होगा बल्कि अनयायिक भी होगा।

(पैरा 8)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट पेटीशन जिसमें प्रार्थना है किः

(i) रिट पेटीशन को मंजूरी दी जाए और एक उचित रिट, आदेश, या दिशा जारी की जाए जिससे विवादास्पद समाप्ति आदेश अनेक्षर P-4 को रद्द किया जाए।

(ii) एक उचित रिट, आदेश या दिशा जारी की जाए जिसमें नियम 12.3 (बी) को अवैध, संविधानविरुद्ध और सार्वजनिक नीति के खिलाफ और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39 (ए) और 41 में शामिल निर्देशक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए और उसी तरीके से, अनुसूची P-1 के परिच्छेद 3 को भी इस प्रकार घोषित किया जाए कि पेटीशनर के सेवा में जारी रहने के संबंध में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

(iii) अनुलेख P-1 से P-5 की प्रमाणित प्रतियाँ जमा करने से मुक्ति दी जाए;

(iv) प्रतिस्पर्धियों को पूर्व-सूचना जारी करने से मुक्ति दी जाए।

इसके अतिरिक्त, यह प्रार्थना की जाती है कि रिट पेटीशन की प्रलंबना के दौरान, विवादास्पद आदेश अनेक्षर PA के प्रचालन को रोका जाए। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि हाल ही में इस सम्माननीय महकमे ने डेली वेजर्स की समाप्ति को रोका है और इस प्रकार की समाप्ति को रोकने के लिए नागरिक रिट पेटीशन संख्या 1616/1989 में इसे रोका गया है। पेटीशनर का मुकदमा बहुत ही वास्तविक और मजबूत है, क्योंकि उसे दैनिक वेजर्स के साथ तुलना करते समय, पेटीशनर एक स्थायी हस्तक्षेप हैं और उन्होंने प्रतिस्पर्धियों के साथ 24 वर्षों तक लगातार प्रशंसायोग्य सेवाएं दी हैं,

और इस प्रकार रिट पेटीशन की प्रलंबना के दौरान अनेक्षर PA का समाप्ति आदेश रोका जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एस.के. अग्रवाल, अमर विवेक एडवोकेट के साथ।

एच एल सिब्बल, वरिष्ठ वकील, आर.के. हंडा, वकील, ए.सी. जैन, वकील, जे.के. सिब्बल, वकील, प्रतिस्पर्धियों के लिए।

निर्णय

एन.के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति

(1) यह दो रिट पेटीशनों का समूह एक सामान्य कानूनी प्रश्न उठाता है, अर्थात, क्या "एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड" जवाबी, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है, मूल रूप से एक राज्य का या सरकार का उपकरण या एजेंसी है और इसलिए इस महकमे के रिट अधिकरण के लिए प्रत्यार्पित है।

(2) 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 4845 में याचिकाकर्ता एक योग्य सिविल इंजीनियर है और वर्ष 1965 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बॉम्बे (बाद में "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा सहायक सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति पत्र में निहित उनके रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना था और उसके बाद उसकी क्षमता, कार्य और उपयुक्तता संतोषजनक पाए जाने पर उसे सेवा में रखा जाना था। नियुक्ति पत्र के खंड 3 में प्रावधान है कि पुष्टि के बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं एक महीने का नोटिस या उसके बदले में एक महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं। 23 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद अब नियुक्ति पत्र की कंडिका 3 के तहत नोटिस के बदले एक माह का वेतन देने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसी आदेश को हमारे सामने चुनौती दी जा रही है।

(3) प्रतिस्पर्धियों की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि निर्माता-कंपनी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' नहीं है और जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के

रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, न तो किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है और न ही इसकी स्वामित्व है, और इसलिए, इस महकमे के रिट अधिकरण के लिए अधीन नहीं है। पेटीशनर ने रिट पेटीशन में इस मामले के संदर्भ में कोई प्रासंगिक यत्न नहीं किया है, हालांकि इसकी मान्यता के समर्थन में यह रिट प्रतिक्रिया में यह कथन किया गया है कि कंपनी एक राज्य का उपकरण है। पेटीशनर ने यह भी दावा किया है कि भारत सरकार को "इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1951" (इसके बाद "अधिनियम") के विभिन्न प्रावधानों के आधार पर कंपनी पर सक्रिय नियंत्रण है। पेटीशनर के अनुसार, कंपनी अधिनियम की प्रावधानों के तहत एक अनुसूचित उद्योग है और सभी महत्वपूर्ण उद्योग, इसमें सीमेंट उद्योग भी समाहित है, इसके गतिविधियाँ, उत्पादन, और बाँटने पर पूरे देश को प्रभावित करती हैं और इसलिए केंद्र सरकार को सीमेंट की उत्पादन, बाँटने, और मूल्य को नियंत्रित और विनियमित करना है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है जो याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी कंपनी पर भारत सरकार को पर्याप्त नियंत्रण देते हैं ताकि इसे संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में लाया जा सके। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार अक्सर सीमेंट उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण को तर्कसंगत बनाने और नियंत्रण आदेश जारी करके सीमेंट उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेस नोट जारी कर रही है। वकील द्वारा इस उद्योग के लिए बजट में अनुकूल प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव देने में सीमेंट उद्योग द्वारा निभाई गई कथित भूमिका पर भी भरोसा जताया गया। भारत के सीमेंट नियंत्रक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा तथाकथित नियंत्रण और कंपनी में सरकार के शेयर रखने और यहां तक कि अपने अधिकारियों को कंपनी के निदेशक के रूप में रखने का भी उल्लेख किया गया है। इन व्यापक कथनों पर, याचिकाकर्ता चाहता है कि हम यह मानें कि कंपनी राज्य के लिए एक साधन है, बल्कि एक एजेंसी है और इस प्रकार इस तरह के मुद्दे के निर्धारण के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित अधिकांश परीक्षणों को पूरा करती है।

(4) उत्तरदाताओं ने रिट याचिकाकर्ताओं के रुख का खंडन नहीं किया है और उनका मामला यह है कि कंपनी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह अन्य बातों के साथ-साथ सीमेंट और संबद्ध उत्पादों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। इसे भारत में निजी क्षेत्र के अग्रणी सीमेंट निर्माताओं में से एक माना जाता है, जिसकी हरियाणा राज्य के सूरजपुर सहित देश के कई राज्यों में सीमेंट विनिर्माण इकाइयाँ हैं। इस कंपनी के शेयर निवेश करने वाली जनता के बीच लोकप्रिय बताए जाते हैं और विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से उपलब्ध हैं। कंपनी के

अधिकांश शेयर निजी व्यक्तियों के पास हैं और केंद्र सरकार के पास काफी कम हैं। मूल-बिंदु शेयरधारक, वास्तव में निजी कंपनियां हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह विवादित नहीं है कि तेल 31 मार्च, 1990 को 55,95,504 शेयर रु. कंपनी द्वारा प्रत्येक को 100 रुपये जारी किए गए थे और शेयर-होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार थाः -

1.	व्यक्तियों के स्वामित्व वाले शेयर	26,45,619)
2.	कॉर्पोरेट शेयरधारकों के स्वामित्व वाले शेयर	6,93,383
3.	केंद्र सरकार द्वारा धारित शेयर (3 शेयर) और कुछ राज्य सरकारें (43,202 शेयर) और सरकारी कंपनियाँ (13 शेयर)	43,218
4.	20,93,093 इक्विटी शेयर वित्तीय संस्थानों और सामान्य बीमा कंपनियों के पास भी थे	

(5) कहा जाता है कि कंपनी में 18 निदेशक हैं, जिनमें से 14 का दावा किया जाता है कि उनका वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों, या केंद्र सरकार के साथ कोई संबंध नहीं है, इससे साझा कराया जा रहा है कि कंपनी का प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ निदेशकों द्वारा नियंत्रित है, जिनमें अधिकांश निजी व्यक्तियों हैं और केवल 3 निदेशक जिन्हें विशेष निदेशक कहा गया है, वे वे हैं जो कंपनी को खनन देने वाले राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानिधित्व करते हैं और बाकी चौथा निदेशक वित्तीय संस्थानों को प्रतिष्ठानिधित्व करता है "जिन्होंने कंपनी को ऋण प्रदान किए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा निदेशक मंडल के इस ब्रेकअप को चुनौती नहीं दी गई है। कंपनी की आगे दलील यह है कि इसे किसी भी तरह से सरकारी कंपनी नहीं माना जा सकता।

(6) दोनों पक्षों के प्रतिनिधित्व में प्रस्तुत किए गए विभिन्न तर्कों का ध्यान देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित परीक्षणों का संदर्भ देना आवश्यक है ताकि इस मामले में कंपनी को सरकार का एक उपकरण या एजेंसी कहा जा सकता है जो 'अन्य प्राधिकृतियों' की विवरण को उत्तर देने के लिए और इस प्रकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" हैं। जैसा कि अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब[1] की आधारभूत न्यायिक निर्णय में उत्कृष्ट की गई परीक्षण के संदर्भ में पूरे मामले की जाँच करनी है, इसलिए इन परीक्षणों को संपूर्ण रूप से स्थानीय संदर्भ के लिए प्रदान करना महत्वपूर्ण हैः —

[1] A.I.R. 1981 S.C. 487.

1. “एक बात स्पष्ट है कि यदि कॉर्पोरेशन का सम्पूर्ण सेयर कैपिटल सरकार द्वारा होल्ड किया जाता है तो इससे यह सुझाव मिलता है कि 'कॉर्पोरेशन सरकार का एक उपकरण या एजेंसी है।“
2. "जब राज्य की आर्थिक सहायता इतनी हो कि यह प्रायः कॉर्पोरेशन के सभी व्यय को पूर्णतः आवृत्त करने में सहायक हो, तो यह कॉर्पोरेशन सरकारी चरित्र से युक्त होने का कुछ संकेत प्रदान करेगा।"
3. "यह भी एक प्रासंगिक कारक हो सकता है कि क्या कॉर्पोरेशन को राज्य द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा सुरक्षित एकाधिकारिक स्थिति है। “
4. “गहरे और व्यापक राज्य नियंत्रण की मौजूदगी का होना एक संकेत प्रदान कर सकता है कि कॉर्पोरेशन एक राज्य एजेंसी या यंत्र है।"
5. “यदि कॉर्पोरेशन के कार्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण हैं और सरकारी कार्यों से गहरे रूप से संबंधित हैं, तो इसे सरकार का एक यंत्र या एजेंसी के रूप में वर्गीकृत करने में एक प्रासंगिक कारक होगा।"
6. विशेषकर, यदि सरकार का कोई विभाग कॉर्पोरेशन में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह कॉर्पोरेशन को सरकार का एक यंत्र या एजेंसी होने के इस संकेत को समर्थन करने वाला एक मजबूत कारक होगा।

परीक्षणों को लागू करने से पहले, यह याद रखना चाहिए कि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा देखा गया है, ये परीक्षण निर्णायक या निर्णायक नहीं हैं, बल्कि ये केवल सांकेतिक संकेत हैं और इन्हें सावधानी और सावधानी के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। 'अन्य प्राधिकारियों' की अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ देने की जो भी आवश्यकता हो, यह ध्यान में रखना होगा कि यह अभिव्यक्ति इतनी अधिक नहीं है कि इसके दायरे में हर स्वायत्त निकाय को लाया जाए, जिसका किसी न किसी प्रकार सरकार से संबंध हो। वास्तव में, इस मामले पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि बहुत विस्तृत व्याख्या की संभावना को उचित सीमा द्वारा नियंत्रित किया जा सके। इसे फिर से इंगित किया जा सकता है, जैसा कि **सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ**[2] के एक अन्य फैसले में उनके आधिपत्य द्वारा देखा गया था, कि यह

[2]A.I.R. 1981 S.C. 2212

सभी परीक्षणों का संचयी प्रभाव है जिसका मूल्यांकन किया जाना है और न ही, जैसा कि **टेक राज बनाम भारतीय संघ**[3] में देखा गया थv, कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी संस्था को 'राज्य' मानने के पक्ष या विपक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी परीक्षण संतुष्ट हों। किसी विशेष मामले में ऐसा हो सकता है कि कुछ विशेषताएं इतनी बोल्ड और प्रमुख हों कि दूसरा दृश्य संभव न हो, जबकि अन्य मामले भी हो सकते हैं जहां मामला सीमा रेखा पर होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में कई अन्य मामले हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश का संदर्भ आवश्यक नहीं है क्योंकि यह केवल परीक्षणों का पुनः विवरण होगा और प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा जिन्हें होना होगा गहराई से जांच की गई हो

(7) अब पहले से मामले पर आते हुए, हम उपरोक्त परीक्षणों के आलोक में कंपनी की प्रमुख विशेषताओं की जांच कर सकते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि कंपनी की कुल शेयर पूंजी में से केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के पास कंपनी द्वारा जारी कुल 55.95,504 शेयरों में से केवल 43,218 शेयर हैं। शेयरों का इतना नगण्य प्रतिशत रखने से संभवतः कंपनी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण तो दूर, किसी नियंत्रण की झलक भी नहीं मिल सकती है। कंपनी का प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है जिसमें 18 सदस्य हैं, जिनमें से 14 निजी व्यक्तियों हैं, जो न तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कुछ लेते हैं और न ही वित्तीय संस्थानों के साथ कुछ करते हैं। बाकी चार निदेशकों के संबंध में, उनमें से एक एक ऐसे वित्तीय संस्थान का नामांकन है जिसने कंपनी को ऋण प्रदान किए हैं और इसलिए उसे इस संस्थान के हित की निगरानी करनी होती है जिसे वह प्रतिष्ठानिधित्व करता है। उसे कंपनी की नीतियों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी तीन निदेशक जिन्हें विशेष निदेशक कहा गया है, वे राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानिधित्व करते हैं, जिन्होंने या उनके पूर्ववर्तियों से कंपनी ने खनन पर ली हुई थी और उनका नामांकन बोर्ड में खनन संबंधित चरणों के अनुसार है। इस प्रकार, साफ है कि सरकार द्वारा होल्डिंग के अलावा जो कि इसे कोई नियंत्रण नहीं देती है, निदेशक मंडल का निर्माण भी ऐसा है कि सरकार इसके माध्यम से कोई नियंत्रण नहीं बिठा सकती। कंपनी निजी क्षेत्र में है और इसके सेयर्स देश में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर कोट्ड हैं और इसलिए इसे राज्य का या एजेंसी का रूप में नहीं माना जा सकता है।

---

[3] A.I.R. 1988 S.C. 469

(8) रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि सीमेंट उद्योग को उन उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है जिन पर सरकार ऐसे उद्योगों की योजना, प्रचार और विकास के मामले में कार्यात्मक नियंत्रण रखती है। यह तर्क है कि यदि उपाधि एक कंपनी है, तो केंद्र सरकार की भागीदारी उसके उत्पादों के विकास और वितरण, मूल्य नियंत्रण, और कई अन्य मामलों में इतनी है कि कंपनी को धारा 12 की चपेट में एक प्राधिकृति माना जाना चाहिए। शिक्षित प्रधान ने यह दावा सामर्थ्य से प्रमाणित करने के लिए "इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1951" (संक्षेप में "अधिनियम") के प्रावधानों पर निर्भर किया है कि अधिनियम के प्रावधानों को सूक्ष्म जांच करने पर पता चलेगा कि केंद्र सरकार कंपनी पर गहरे प्रचलन नियंत्रण का अभ्यास कर रही है। यह दबाव दिया जा रहा है कि सीमेंट और इससे संबंधित उत्पाद निर्मित करने वाली कंपनी एक अनुसूचित औद्योगिक उपक्रम है, जिस पर केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से गहरे और व्यापक नियंत्रण का अभ्यास कर रही है। हमें यह दिखाने के लिए अधिनियम के कई प्रावधानों के माध्यम से ले जाया गया है कि कैसे केंद्र सरकार ने उपक्रम को इसकी स्थापना से ही नियंत्रित करना जारी रखा है। उपक्रम को वाकई में पंजीकृत करना है, उसे एक लाइसेंस प्राप्त करना है और केंद्र सरकार ने सलाहकार और विकास परिषदें स्थापित की हैं ताकि इस पर केंद्रीय सरकार से संबंधित उद्योगों के विकास और विनियमन से संबंधित सभी मामलों पर इसे सलाह दी जा सके, ताकि एक निर्धारित उद्योग की कुशल सलाह के लिए एक्सपर्ट सलाह प्राप्त की जा सके और एक विकास परिषद को रिपोर्ट सबमिट करनी भी है, लेकिन ये सभी विनियमन प्रकृति के प्रविष्टियों हैं और नियंत्रण इतना गहरा और व्यापक नहीं होता है कि जो उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित चौथे परीक्षण को संतुष्ट कर सके। बेशक, सरकार को निश्चित परिस्थिति में सार्वजनिक हित में कंपनी के प्रबंधन को पूरी तरह से अधिग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार यह सूचित नहीं कर सकता कि एक निजी उद्यम जब तक इसे अधिग्रहित नहीं किया जाता है, वह राज्य का एक यंत्र या एजेंसी बन गया है। एक शक्ति का प्रयोग और उसके प्रयोग का तरीका दो अलग-अलग मामले हैं और केवल इस कारण कि केंद्र सरकार को किसी उपक्रम को अधिग्रहित करने का अधिकार है, यह उपक्रम को सरकारी एक नहीं बना देगा। एक विकासशील कल्याणकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य को विनियमित करने के लिए व्यवसाय, व्यापार और इसी तरह की कई गतिविधियों में भाग लेना, हस्तक्षेप करना और कुछ नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक निजी उद्यम ऐसा व्यापार या व्यवसाय राज्य का एक साधन बन जाता है। हम खुद को स्वीकार करने में असमर्थ महसूस करते हैं कि शिक्षित प्रधान के द्वारा किए गए चरित्र के और

व्यापक दावे को स्वीकृत करें कि "अधिनियम की कुशलता" के तहत उल्लिखित उद्योगों का कोई भी प्रयास आत्म से स्वीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा व्यायाम किए जा सकने वाले नियंत्रण के प्रकारों के कारण यह "धारा 12 के चापे में एक राज्य" माना जाना चाहिए। यह है कि एक उपक्रम के कार्यों के प्रबंधन, नीति निर्माण, दिन-प्रतिदिन कार्य आदि में नियंत्रण की कुल मात्रा को देखना होगा ताकि यह निर्धारित हो सके कि "गहरे और व्यापक राज्य नियंत्रण" के चौथे परीक्षण को पूरा किया जाता है या नहीं।उपसूची के तहत एक निर्धारित उद्योग पर अधिनियम के तहत राज्य का नियंत्रण जो इनके प्रभुध्वर्थियों द्वारा चौथे परीक्षण की व्याख्या की गई है, वह नियामक प्रकार का नियंत्रण नहीं है। यदि केवल इस कारण कि कंपनी जो कंपनी अधिनियम के तहत शामिल है, किसी भी उद्योग में व्यापार चला रही है और इसके व्यापार को चलाने के लिए इसने वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रत्येक ऐसी संस्था ने निदेशक को निदेशक मंडल में रखा है, तो इससे यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सरकार का एक यंत्र या एजेंसी है, तो उस मामले में, तब हर सीमित कंपनी जो बैंक ऋण के साथ सूची में उल्लिखित किसी भी व्यापार को चला रही है, को राज्य का एक यंत्र या एजेंसी माना जाना चाहिए। धारा 12 की दृष्टिकोण को इस प्रमाण तक बढ़ाना न केवल अविवेकपूर्ण होगा, बल्कि अनयायपूर्ण भी।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में किसी भी अन्य परीक्षण पर भरोसा नहीं किया है कि कंपनी को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य का दर्जा रखने वाला प्राधिकरण माना जाना चाहिए।

(10) परिणामस्वरूप, प्रारंभिक आपत्ति प्रबल है और हम यह धारित करते हैं कि कंपनी राज्य का यंत्र या एजेंसी नहीं है और इसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। इस दृष्टिकोण में, इन रिट पिटीशन्स के योग्यता पर न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। इस परिणाम स्थिति में, रिट पिटीशन्स को बिना लागत के कोसा गया है।

(11)अलग होने से पहले, यह कहा जा सकता है कि याचिककर्ताओं ने जो कंपनी के परिसर में निवास कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल निष्कासन का अंदेश देखकर उन्होंने इसे तीन महीने के भीतर खाली करने का प्रतिश्रुति दी है और इसलिए, कंपनी से इसे उन तक पहुंचाने से रोका जाता है।

एस.सी.के.

न्यायमूर्ति जी आर मजीठिया के समक्ष

सुमेर चंद,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला, जिला अंबाला और अन्य, -प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 6455।

11 अक्टूबर, 1990.

पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955—एस. 32-ए-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12-सफीदों ग्राम उद्योग समिति, एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण दिया गया था-वसूली की मांग-ऋण का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप बोर्ड ने धारा 32 के तहत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। -ए-धारा 32-ए के अल्ट्रा वायर्स को चुनौती दी गई- अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक, मांगें' और 'अन्य प्राधिकारी'-एम्बिट-बोर्ड लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई एक संस्था है जो 'अन्य प्राधिकारी' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है और इस प्रकार, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है - 'सार्वजनिक मांगों' के दायरे में आने वाले अधिनियम के तहत ऋण अग्रिम करने के लिए बोर्ड का कार्य, राज्य विधायिका 'सार्वजनिक मांगों' के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है - धारा 32-ए अधिकारातीत नहीं है .

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा